



2026:AHC:54726

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2550 सन् 2026

शानू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुदर्शन सिंह, विवेक सहगल

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह, को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 40/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 324(4), 121(1), 131, 3(5) तथा खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के अंतर्गत, थाना - बहेड़ी, जनपद बरेली में अग्रिम जमानत हेतु इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना में 39 अज्ञात एवं 5 नामजद व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि, घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कई ट्रक अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त थीं और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने अपने मोटर वाहनों को पुलिस अधिकारियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने एवं जब भी जाँच एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा आवश्यक हो उपस्थित होने का वचन देता है तथा यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रतिस्पर्धी तर्कों पर विचार किया है।

6. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सल्लिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत याचिका पर न्याय निर्णयन करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और यह कि न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की वास्तविक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

7. प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कथित घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है, गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - शानू की गिरफ्तारी की दशा में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंध-पत्र, दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

वन्दना

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।